

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 02, शुक्रवार, शाके 1943-सितम्बर 24, 2021 <i>Asvina 02, Friday, Saka 1943- September 24, 2021</i>	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 23, 2021

संख्या प.2(28)विधि/2/2021.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान विनियोग (सं. 3) अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 6)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हुई)

वित्तीय वर्ष 2021-2022 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम.** -इस अधिनियम का नाम राजस्थान विनियोग (सं.3) अधिनियम, 2021 है।
- 2. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए राज्य की समेकित निधि में से 31,63,26,31,000/- रु. का दिया जाना.** -अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान, संदाय के अनुक्रम में आने वाले विभिन्न प्रभारों का चुकारा करने के लिए राज्य की समेकित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक और कुल मिलाकर मात्र 31,63,26,31,000/- रु. (तीन हजार एक सौ तिरसठ करोड़ छब्बीस लाख इकतीस हजार रुपये) की राशियाँ संदत्त और उपयोजित की जा सकेंगी।
- 3. विनियोजन.-** इस अधिनियम द्वारा राज्य की समेकित निधि में से संदत्त और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत की गयीं राशियाँ उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जायेंगी।

अनुसूची

वर्ष 2021-2022 के लिये अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिये मांगों की अनुसूची
(प्रथम संकलन)

		(देखिये धारा 2 और 3)		(रुपये सहस्र में)	
		अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है			
सेवाएं और प्रयोजन		दत्तमत		प्रभृत्त	
		राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
1		2			
समेकित निधि					
(प्रभृत्त व्यय)					
2049.	ब्याज अदायगियां	44	.. 44
	योग	44	.. 44
अनुदानों के लिये मांगे					
मांग संख्या - 6					
(न्याय प्रशासन)					
2014.	न्याय प्रशासन	1 1
	योग	1 1
मांग संख्या - 12					
(अन्य कर)					
5055.	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	..	4,00,00,01 4,00,00,01
	योग	..	4,00,00,01 4,00,00,01
मांग संख्या - 16					
(पुलिस)					
2055.	पुलिस	1 1
4055.	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	..	1 1
	योग	1	1 2
मांग संख्या - 19					
(लोक निर्माण कार्य)					
4403.	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	..	2 2
	योग	..	2 2

मांग संख्या - 21**(सड़कें एवं पुल)**

7075.	अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज	..	1,91,79,00	1,91,79,00
	योग	..	1,91,79,00	1,91,79,00

मांग संख्या - 24**(शिक्षा, कला एवं संस्कृति)**

2203.	तकनीकी शिक्षा	8	8
4202.	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	..	6	6
	योग	8	6	14

मांग संख्या - 26**(चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई)**

2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2	2
4210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	..	3,39,00,16	3,39,00,16
	योग	2	3,39,00,16	3,39,00,18

मांग संख्या - 27**(पेय जल योजना)**

4215.	जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	..	30	30
	योग	..	30	30

मांग संख्या - 28**(ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम)**

4515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	..	3,74,00,00	3,74,00,00
	योग	..	3,74,00,00	3,74,00,00

मांग संख्या - 29**(नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास)**

4217.	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	..	7,59,61,51	7,59,61,51
	योग	..	7,59,61,51	7,59,61,51

मांग संख्या - 30**(जनजाति क्षेत्रीय विकास)**

2203.	तकनीकी शिक्षा	1	1
2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों का कल्याण	4	4
2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4	4
2403.	पशु-पालन	1	1
4202.	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	..	3	3
4210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	..	25	25
4215.	जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	..	30	30
4217.	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	..	40,00,05	40,00,05
4225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	..	4	4
4403.	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	..	3	3
4415.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	..	1	1
4801.	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	..	66,15,00	66,15,00
5055.	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	..	1,00,00,00	1,00,00,00
योग		10	2,06,15,71	2,06,15,81

मांग संख्या - 33**(सामाजिक सुरक्षा और कल्याण)**

2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों का कल्याण	1	1
-------	--	---	----	----	----	---

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,00,00,18	1,00,00,18
योग	1,00,00,19	1,00,00,19

मांग संख्या - 37**(कृषि)**

4415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	..	5	5
योग	..	5	5

मांग संख्या - 39**(पशुपालन एवं चिकित्सा)**

4403. पशु पालन पर पूँजीगत परिव्यय	..	3	3
योग	..	3	3

मांग संख्या - 41**(सामुदायिक विकास)**

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	1	1
योग	1	1

मांग संख्या - 46**(सिंचाई)**

4700. मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	..	1	1
योग	..	1	1

मांग संख्या - 47**(पर्यटन)**

5452. पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	..	67,50,00	67,50,00
योग	..	67,50,00	67,50,00

मांग संख्या - 48**(विद्युत)**

4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	..	3,21,30,00	3,21,30,00
4810. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूँजीगत परिव्यय	..	1,28,45,73	1,28,45,73
योग	..	4,49,75,73	4,49,75,73

मांग संख्या - 50**(ग्रामीण रोजगार)**

2505.	ग्राम रोजगार	1	1
	योग	1	1

मांग संख्या - 51**(अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना)**

2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों का कल्याण	1	1
2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4	4
4202.	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	..	2	2
4210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	..	25	25
4215.	जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	..	30	30
4217.	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	..	60,00,05	60,00,05
4403.	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	..	3	3
4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	..	1	1
4801.	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	..	85,05,00	85,05,00
5055.	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	..	1,30,37,13	1,30,37,13
	योग	5	2,75,42,79	2,75,42,84
	योग-समेकित निधि	1,00,00,48	30,63,25,39	44	..	31,63,26,31

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।